

पत्रावली
 अहमद नगर
 जिल्हा कार्यालय
 अहमद नगर

हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुयम की तामील
 में जारी हुए

18/22 पत्रावली पेश हुई वकील पत्रावली में वकील
 शर्मा की रजपक्षीय बख्त पूर्व में हुनी
 जा भूमि ही पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक
 6.9.2022 को पेश हो। *du*

6/9/22 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है।
 पूर्व आदेश की पालना में अवसर दिया जाकर पत्रावली
 दिनांक 28.9.22 को पेश हो। *du*

28/9/22 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान
 उपस्थित है वकील शर्मा ने अपनी बख्त
 में शर्मा पत्र में वकिल तथ्यों की
 दोहराया। शर्मागिण ग्राम खेडी पटवार
 मण्डल जजावर की भूमि खसरा सं. 803,
 804, 807, 805 पर रिकार्ड्ड खातेदार
 दर्ज है शर्मागिण को शर्मा के एक
 आधिपत्य की भूमि पर अनुचित
 हस्तक्षेप का कोई अधिकार प्राप्त
 नहीं है अतः प्रथम दृष्टया कौस
 शर्मागिण के पक्ष में साबित होता है
 रिकार्ड्ड खातेदार होने के कारण सुविधा
 सन्तुलन का तथा अपूर्तनीय शक्ति का
 बिन्दु श्री शर्मागिण के पक्ष में साबित होता
 है अतः शर्मागिण का शर्मा पत्र अन्तर्गत
 धारा 212 ए Act स्वीकार किया जाकर
 ग्राम खेडी पटवार मण्डल जजावर की
 भूमियों खसरा सं. $\frac{803}{07-03}$, $\frac{805}{4-00}$, $\frac{804}{0-07}$, $\frac{807}{3-07}$
 पर रिकार्ड एवं मौजे की यथास्थिति बनाए
 रखने हेतु ताफैसला बाद शर्मागिण को
 अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।
 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
 पत्रावली बाद तथ्यों मूलवाद के साथ संलग्न रहे।



du
 उपसप्ट अधिकारी
 नैनवां (बन्दी)